भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1513
(11 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कर्नाटक में मनरेगा

1513. श्री ए. नारायण स्वामीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र की कर्नाटक को मजदूरी तथा सामग्री लागत सहित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत किसी निधि की देनदारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) बकाया राशि देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसकी स्थिति क्या है; और
(घ) भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं, यदि कोई हो?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), 2005 एक मांग धारित रोजगार कार्यक्रम है। राज्य/जिला-वार निधियां वंटित नहीं की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मंत्रालय सहमत श्रम बजट (कार्य दिवस), प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लंबित देयताओं, यदि कोई हो, और समग्र कार्य निष्पादन एवं अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के धार पर दो खेप में, प्रत्येक किश्त एक या दो किश्तों वाली, में वधिक रूप से निधियां जारी करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 05.02.2020 तक) के दौरान मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए लंबित मजदूरी देयताओं सहित महात्मा गांधी नरेगा के तहत 4929.37 करोड़ रूपए जारी किए हैं। कर्नाटक राज्य के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में जारी केंद्रीय निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(लाख रु. में)

राज्य	**जारी केन्द्रीय निधियां**			
	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (05.02.2020 तक)**
कर्नाटक	225864.88	295632.54	304975.56	492937.29

****